न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4240–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–12–14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी प्रकरण कमांक 60/अ–6/2012–13.

सुधीर आत्मज विजय सिंह राजपूत
निवासी दूधकच्द कलां
तहसील रहटगांव जिला हरदा .....आवेदक

विरूद्ध

1– अनसुईयाबाई पुत्री रामसिंह
पत्नी रामनारायण राजपूत
निवासी ग्राम तजपुरा
तहसील टिमरनी जिला हरदा
2– शांतिबाई पुत्री रामसिंह
पत्नी मोहनसिंह राजपूत
निवासी ग्राम नांदवा
तहसील रहटगावं जिला हरदा .....अनावेदकगण

श्री नीलेश शर्मा अभिभाषक, आवेदक
श्री संदीप दुबे, अभिषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/6/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–12–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, टिमरनी के आदेश दिनांक 14–5–08 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 29–6–13 को लगभग 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, अतः विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 5–12–14 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक के आजा स्व. रामसिंह द्वारा प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के नाम कराई गई थी, जिसकी जानकारी अनावेदकगण को प्रारंभ से रही है, और अनावेदकगण द्वारा नियत समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने से तहसीलदार का आदेश अंतिम हो चुका है ।

(2) अनावेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिकता की गई है ।

(3) अनावेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि के एकमात्र भूमिस्वामी स्व. रामसिंह रहे हैं, जिन्होंने स्वयं आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज कराया है, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी का यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है, क्योंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 में जन्मसिद्ध अधिकार समाप्त किया जा चुका है, अर्थात भूमिस्वामी की जीवित रहे उसके पुत्र–पुत्रियों का कोई हक नहीं रहता है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण के पिता स्व. रामसिंह के नाम 13.61 एकड़ पैतृक भूमि थी, और आवेदक द्वारा द्वारा स्व. रामसिंह की वृद्धावस्था एवं अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए संयुक्त परिवार की भूमि को अपने नाम करा लिया, जो कि पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही है ।

(2) यदि कोई आदेश प्रारंभ से ही विधि विरूद्ध है तब उसमें समय–सीमा का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । तहसीलदार द्वारा नामांतरण एवं बटवारा आदेश एक साथ पारित किया गया है, जो कि नहीं किया जा सकता है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पैतृक भूमि, जिसमें अनावेदकगण का जन्मसिद्ध अधिकार है । चूंकि तहसील न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे वे अपना पक्ष समर्थन नहीं कर सके हैं, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है ।

(4) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में स्वयं को स्व. रामसिंह का पुत्र बताया है, जबकि स्व. रामसिंह के कोई पुत्र ही नहीं है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(5) प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का स्वत्व है, ऐसी स्थिति में समय–सीमा जैसे तकनीकी आधार पर प्रकरण का निराकरण नहीं करना चाहिए ।

तर्कों के समर्थन में 2004 आर.एन. 289, 2000 आर.एन. 153 एवं 2002 आर.एन. 412 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि अनावेदकगण मृतक भूमिस्वामी स्व. रामसिंह की पुत्रियां हैं, अतः प्रथम दृष्टया प्रश्नाधीन भूमि में उनका हित निहित है । लेकिन तहसील का आदेश उनकी उपस्थिति में नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–12–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर